संख्या-16/2015/341/35-3-2015-1(29)/2014

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
श्रावस्ती।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 18 मार्च ,2015**

विषय: वर्ष 2014-15 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत सी0 सी0 रोड / के0 सी0 ड्रेन निर्माण कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद श्रावस्ती में शासनादेश संख्या-926/35-3-2014-1(29)/2014 दिनांक: 17 नवम्बर,2014 एवं 4/1100(1)/1(29)/2014/35-3-2014 दिनांक: 15 दिसम्बर,2014 के द्वारा सी0 सी0 रोड/के0 सी0 ड्रेन निर्माण की निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु कुल रू. 248.87 लाख की लागत सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये, प्रथम किश्त के रूप मे रू. 161.26 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। एतदद्वारा उक्त कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप मे अवमुक्त धनराशि को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 87.61 लाख (रू. सत्तासी लाख इकसठ हजार मात्र) को निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(धनराशि लाख रू.)

विकास खण्ड का नाम	क्र. स.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	प्रथम किश्त के रूप मे अवमुक्त धनराशि	द्वितीय किश्त के रूप मे अवमुक्त की जा रही धनराशि
कार्यदायी संस्था -ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग					
सिरसियां	1.	ग्राम पंचायत मसहाकलां में सी. सी. रोड व के. सी./ यू **ड्रेन** का निर्माण ।	50.50	30.30	20. 20
जमुनहां	2.	ग्राम परसोहना के मजरा लाल बोछा मे सी. सी. रोड व नाली का निर्माण।	72.68	43.60	29.08

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हरिहरपुर रानी	3.	ग्राम पंचायत ककरदरी में सी. सी. रोड व के. सी. **ड्रेन** का निर्माण ।	50.45	30.27	20.18
हरिहरपुर रानी	4.	असनहरिया में सी. सी. रोड व के. सी./ यू टाइप नाली का निर्माण ।	29.86	29.86	-
हरिहरपुर रानी	5.	तुरसमा में सी. सी. रोड व के. सी. / यू टाइप नाली का निर्माण ।	45.38	27.23	18.15
		योग (सी. सी. रोड व के. सी. ड्रेन)	**248.87**	**161.26**	**87.61**

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक:17 नवम्बर, 2014 एवं 15 दिसम्बर,2014 की शर्ते यथावत लागू रहेगीं ।

2- जिलाधिकारी द्वारा द्वितीय किश्त कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराने के पूर्व अपने स्तर से जिले के सक्षम अधिकारी से प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो की प्रगति एवं उनकी गुणवत्ता का भौतिक सत्यापन अवश्य कराया जायेगा।

3- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से एवं विलम्बतम दिनांक 31 मार्च, 2015 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग का उपलब्ध कराये जायेंगे तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्यात तीन माह में अर्थात दिनांक 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

4- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

5- इस शासनादेश से उक्त कार्यो के लिये अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवण्टन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत मे ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृध्दि अनुमन्य नही होगी ।

6- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 आयोजनागत-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-06-बॉडर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-09-सी0 सी0 रोड/के0 सी0 ड्रेन निर्माण के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी-1-2457/दस-2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-16 / 2015 / 341(1) / 35-3-2015-1(29) / 2014

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी, श्रावस्ती ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 / ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटन मण्डल।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, श्रावस्ती ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।